



राष्ट्रीय सेवा योजना
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर— 272202 उ०प्र० (भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: nssuk2018@gmail.com



पत्रांक: 714/रा०से०यो०/सि०वि०वि०/2025

दिनांक 01 / 07 / 2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

विषय—जनहित गारण्टी अधिनियम—2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर वर्ष 2024–25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण—पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्र संख्या—273/सत्तर—रा०से०यो०को०—2025 दिनांक 30 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनहित गारण्टी अधिनियम—2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर वर्ष 2024–25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवको/स्वयंसेविकाओं के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण—पत्र जारी किये किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 तथा वर्ष 2024–25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण—पत्र जारी करने की तिथि शासन द्वारा 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2025 तक निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आप सभी प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय/इकाई से सम्बन्धित स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं के 02 वर्ष की अवधि में 240 घंटे का नियमित कार्यक्रम तथा विशेष शिविर कार्यक्रम पूर्ण होने पर वर्ष 2022–23 वर्ष 2023–24 तथा वर्ष 2024–25 का ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने हेतु स्वयंसेवको/स्वयंसेविकाओं का डाटा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर 10 जुलाई, 2025 तक अपलोड करने का कष्ट करें, जिससे ससमय उनका प्रमाण—पत्र निर्गत किया जा सके।

संलग्नक—यथोक्त।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कार्यक्रम समन्वयक

प्रेषक,

डॉ० मंजू सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कार्यक्रम समन्वयक,

एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2- उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल

एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों के कम में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु समस्त कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा कियान्वित किया जाना अपेक्षित है।

2-उल्लेखनीय है कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की सूचना वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर अपलोड की जानी है।

3- जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश की वेबसाइट uponlinenss.upsdc.gov.in पर राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मण्डल उत्तर प्रदेश को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/+2 काउंसिल स्तर पर वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 का स्वयंसेवकों के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 जून, 2025 तक निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

4- वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2025 तक निर्धारित किया गया है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक मण्डल उत्तर प्रदेश को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/+2 काउंसिल स्तर पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं के 02 वर्ष की अवधि में 240 घंटे का नियमित कार्यक्रम तथा 07 दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम पूर्ण होने पर वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वर्ष 2024-25 का ऑनलाइन बैकलॉग प्रमाण-पत्र 15 जुलाई, 2025 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

6- ऑनलाइन डाटा इंट्री एवं बैकलॉग प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार के बाधाओं के निस्तारण हेतु हेल्पलाइन नं० 7991200540 (केवल व्हाट्स ऐप) एवं हेल्पलाइन ई-मेल- nssupwebsite24@gmail.com द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० मंजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

५